6 2/17 आज यह पत्रावली पेश हुई। किया कोर्ट [illegible] में
पेश हुई। सिमाई पत्रावली का अवलोकन किया। पक्षकारों के
वकीलों को सुना गया। विवादित आराजी सह खातेदारी की आराजी
जिसमें अन्य खातेदारों का भी हिस्सा है वादी का कौन सा
भाग बनता है यह स्पष्ट नहीं है अतः सर्वप्रथम वादग्रस्त
विवादित का आराजी का बटवारा कराया जाए कि पैमाइश कराये जाने
के आवेदन पर वादपत्र निर्णय कराये जाने पर वादी, प्रति. तहसील
हेतु अतः इसी प्रकार वादी का वाद इसी निरस्त किया जाता है
प्रा. में निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली
किया गया। बाद नम्बर से कमे हाजिर बाद तकमील दाखिल
दफ्तर की जावे। निर्णय खुला कोर्ट में सुनाया गया।

(signature)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम (अलवर)

(पीठासीन अधिकारी ~~लोक अदालत~~/कैम्प कोर्ट) कैम्प......ईकरोटिया

पीठासीन अधिकारीः– विश्वामित्र मीना, आरएएस

उनवान

गौरव..................बनाम...............नरेन्द्र आदि

दावा बाबत...............हुक्मईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नम्बर : 244/07.10.2015

निर्णय दिनांकः– 06.07.02017

वादी वकील की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख.....06.07.02017 को विश्वामित्र मीना, आरएएस, उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम(अलवर) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए कैम्प कोर्ट में पेश होने पर सुना गया व पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया । रिकार्ड के अवलोकन के पश्चात आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है किः– वादीगण विवादित आराजी वाके ग्राम **पाटनअहीर** तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान खसरा नम्बर **359/1.12 Bigha** का वादी बटवारा कराये **तत्पश्चात विवादित आराजी हिस्से में आई** की नियमानुसार पैमाइश कराये, पैमाइश होने के बाद पैमाइश के अनुसार पैमाइश रिपोर्ट में हिस्से की विवादित आराजी पर प्रतिवादी गण का अतिक्रमण पाया जाता है तो उक्त विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण हुक्मइम्तनाई दवामी से पाबन्द रहेंगें कि वो विवादित आराजी के किसी भी जुज पर जबरन कब्जा ना करें,, ना निर्माण करें, वादीगण व तर0 प्रति0 के कब्जे काश्त में मजाहमत व मदाखलत पैदा ना करें। मौके की यथास्थिति कायम रखें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर करें। निर्णय कैम्प कोर्ट में लिखाया जाकर खुले में सुनाया गया।

....

....

....

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें।

यह निर्णय आज तारीख....06.07.02017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(विश्वामित्र मीना)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहा.कलक्टर,कोटकासिम
कैम्प कोर्ट.....ईकरोटिया

Scanned by CamScanner